कार्यवृत्त

शुक्रवार, 16 फाल्गुन, शक संवत्, 1941
(दिनांक : 06 मार्च, 2020)

खण्ड–53

अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, भराडीसैंण (गैरसैंण) में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत राज्य में मंहगाई के संबंध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग करते हुए जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें। परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये। जिससे व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिये नियम–310 की सूचनाओं को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर मा0 सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि अत्यन्त हर्ष का विषय है कि पिछले कई उपवेशनों की भांति ही आज के उपवेशन की कार्यसूची में अंकित सभी प्रश्नो के उत्तर प्रश्नकाल समय अवधि के अन्तर्गत दिए गए हैं। मैं माननीय सदन के सभी पक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके सहयोग से प्रश्नकाल में गम्भीर विचार–विमर्श हुआ और जनहित के विषय माननीय सदन में उठाये गए। मैं आशा करता हूँ कि प्रश्नकाल में आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद!

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में स्थित महाविद्यालय को जोड़ने वाली सड़क के अवशेष मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री होशियार सिंह नेगी, ग्राम घण्डियाल पो0 गैरसैण, जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 में स्वीकृत मोटर मार्ग बकरिया बैण्ड छिमटा को वन व पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के सम्बन्ध में श्री भगत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, ग्राम छिमटा पो0 आदिबद्री तहसील आदिबद्री जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के राष्ट्रीय राजमार्ग म–87 कर्णप्रयाग से पाण्डुवाखाल डामरीकरण के सम्बन्ध में'' श्री कमला प्रसाद पुत्र श्री महेश नन्द नैनवाल, ग्राम कोट पो0 माईथान जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिरचन्दी में संजीत कुमार की दुकान से बारात घर तक सी0सी0सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सुखपाल पुत्र श्री हुकम सिंह, ग्राम सिरचन्दी पो0 सिरचन्दी जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम अमरपुर पोस्ट इकबालपुर जनपद हरिद्वार में गोगा जी महाड़ी का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री रविन्द्र पुत्र श्री राजेश कुमार, ग्राम अमरपुर पो0 ईकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिरचन्दी में बारात घर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री संजीत कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह, ग्राम सिरचन्दी पो0 सिरचन्दी जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	श्री मनोज रावत	जनपद चमोली के ग्राम औली सिंह धार में वर्ष 2007–08 में विण्टर गेम्स हेतु राजस्व विभाग द्वारा अधिग्रहित की गयी जमीन का मुआवजा आज तक न दिये जाने के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
2.	श्री फुरकान अहमद	ग्राम बजूहेडी तहसील रूड़की में सरकारी पुलिया बंद किये जाने के कारण कृषि भूमि के जलमग्न होने के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
3.	श्री राजकुमार ठुकराल	उत्तराखण्ड राज्य में नजूल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों के हित में पुनः नजूल नीति बनाने व उन्हें दिल्ली की तर्ज पर मालिकाना हक देने के सन्दर्भ में एवं पुनः नजूल नीति बनाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करने के सन्दर्भ में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
4.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून की विधानसभा सहसपुर के अन्तर्गत के अन्तर्गत राजकीय एवं निजी मेडिकल कालेजों में नेशनल

		एलीजिबिलिटी एन्ट्रेन्स टेस्ट (नीट) की आल इन्डिया रैकिंग के आधार पर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल पाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
5.	श्री खजान दास	राजपुर रोड़ विधान सभा अन्तर्गत मच्छी बाजार को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
6.	श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना फेस–2 गोगीना कीमू में सरकार द्वार व्यय की गयी धनराशि के क्षेत्रवासियों को लाभ न मिलने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
7.	श्री आदेश चौहान	हरिद्वार नगर निगम के अन्तर्गत ज्वालापुर के मौ0 नीलखुदाना से ईदगाह रोड़ तक जाने वाले नाले को अतिक्रमण मुक्त कर पुर्ननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत काजी मौ0 निजामुददीन, श्री राजकुमार, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री मनोज रावत, श्री प्रीतम सिंह पंवार की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुददीन, श्री राजकुमार, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

देशभर में कोरोना वायरस के कारण फैली दहशत के सम्बन्ध में माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुददीन ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

केदार कांठा देवजानी जेवाणु गांव को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

विधान सभा क्षेत्र जसपुर में बेमौसमी बारिश से गेहूँ, आलू, मटर एवं लाई की फसल के नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विभिन्न सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

राज्य में मंहगाई के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना के अन्तर्गत ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य नेता प्रतिपक्ष, श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री करन माहरा, हाजी फुरकान अहमद, श्रीमती ममता राकेश एवं श्री हरीश सिंह ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के मा0 सदस्यों ने सदन का बर्हिगमन किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 02 बजे भोजनावकाश के लिए 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

मा0 अध्यक्ष ने सूचित किया कि यह विधान सभा का ऐतिहासिक सत्र है जो कि 7700 फीट की ऊँचाई पर हो रहा है, ठण्ड अत्यधिक होने के कारण उन्होंने नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टोपी एवं मफलर पहनने की अनुमति प्रदान की गयी। उन्होंने अवगत कराया कि रोमांचित करने वाले समां है, इसी बीच हम कार्य शुरू करते हैं:–

श्री आदेश सिंह चौहान के भाषण से माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पुनः आरम्भ हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :–

1. श्री करन माहरा
2. श्री विनोद कण्डारी
3. श्री विशन सिंह चुफाल
4. श्री भरत चौधरी
5. श्री चन्दन राम दास
6. श्री महेश नेगी
7. श्री हरीश सिंह
8. मा0 संसदीय कार्य मंत्री
9. मा0 नेता प्रतिपक्ष

04:00 बजकर 35 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल द्वारा विधान सभा सचिवालय में उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कहा गया जिस पर सदन में घोर व्यवधान हुआ। श्री उपाध्यक्ष द्वारा विधान सभा सचिवालय के संबंध में कोई चर्चा न करने के निर्देश दिये गये।

04:00 बजकर 50 मिनट पर मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए।

विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2018 को प्रस्तुत राज्यपाल के अभिभाषण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय– व्ययक पर चर्चा मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण से आरम्भ हुई।

1. श्री महेन्द्र भट्ट
2. श्री हरबंश कपूर
3. श्री विनोद कण्डारी
4. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
5. श्री राम सिंह कैडा
6. श्री धन सिंह नेगी
7. श्री केदार रावत

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आय–व्ययक पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री विशन सिंह की सूचना जो जनपद पिथौरागढ़ के सामुदायिक केन्द्र डीडीहाट में विगत छः वर्षों से एक्स–रे टैक्निशियन ना होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री पूरन सिंह फर्त्याल की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के गोलडाडा कायल एवं गांगली बरूडी में यातायात सुविधा न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 06:46 बजे दिनांक 25 मार्च, 20202 तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।